राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर पीठ

एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 51/2023

योगेन्द्र सिंह नेगी पुत्र स्व. गोपाल सिंह नेगी, उम्र लगभग 59 वर्ष, पुत्र नेगी, निवासी पशु चिकित्सालय के पीछे, नागौर, वर्तमान में सरकारी अस्पताल में डॉक्टर के पद पर तैनात हैं। जे.एल.एन. अस्पताल, नागौर, जिला नागौर (वर्तमान में उप जेल, मेड़ता, जिला नागौर में बंद है)।

----अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य, पी.पी. के माध्यम से
2. हनुमान राम पुत्र स्व. जोगाराम, मेघवालों का मौहल्ला, रोल, जिला नागौर।

---- प्रत्यर्थी

अपीलार्थी की ओर से	:	श्री राकेश अरोड़ा
प्रत्यर्थी की ओर से	:	श्री लक्ष्मण सोलंकी
शिकायतकर्ता की ओर से	:	श्री एस.के.वर्मा, श्री राहुल राजपुरोहित।

माननीय न्यायमूर्ति कुलदीप माथुर

आदेश

रिपोर्टेबल

16/05/2023

अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि दिनांक 05.01.2023 की सुबह लगभग 10-11 बजे, अपीलार्थी जो एक सरकारी अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर है, नशे की हालत में अपनी कार संख्या आरजे-07-CD-5020 चला रहा था, के कारण अस्पताल में दुर्घटना हो गई, जहां

वह काम कर रहे थे, जिसमें कार वहां खड़े आम लोगों/मरीजों पर चढ़ गई, जिसके परिणामस्वरूप भंवर लाल नामक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई और श्रीमती नाज़िया बानो नामक एक गर्भवती महिला का गर्भपात हो गया।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि अपीलार्थी को वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि धारा 304 आईपीसी के तहत कथित अपराध अपीलार्थी के खिलाफ नहीं बनता है और अधिक से अधिक, यह धारा 304-क आईपीसी का मामला है। विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि कथित घटना तब हुई जब अपीलार्थी हमलावर कार चला रहा था, जिसने अस्पताल में प्रवेश करते समय अचानक नियंत्रण खो दिया जब कार एक स्पीड ब्रेकर से गुजर रही थी। यह प्रस्तुत किया गया कि अस्पताल के गेट के पास भीड़ और संकरा होने के कारण, दुर्भाग्य से, कार वहां खड़े लोगों पर चढ़ गई।

अंत में, विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी जो एक सरकारी अस्पताल में डॉक्टर के रूप में सेवारत है, अब सेवानिवृत्ति की आयु के करीब है। विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि चूंकि मामले की जांच पहले ही पूरी हो चुकी है, चालान पहले ही दायर किया जा चुका है और अपीलार्थी से कोई वसूली नहीं की जानी है, इसलिए अपीलार्थी को सलाखों के पीछे रखने से कोई सार्थक उद्देश्य पूरा नहीं होगा। इस प्रकार उन्होंने न्यायालय से जमानत आवेदन स्वीकार करने और अपीलार्थी को जमानत पर रिहा करने का अनुरोध किया।

इसके विपरीत, विद्वान लोक अभियोजक और शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत आवेदन का पुरजोर विरोध किया। विद्वान अधिवक्ता ने न्यायालय का ध्यान अपीलार्थी द्वारा शराब के सेवन से संबंधित मेडिकल ज्यूरिस्ट, सरकारी अस्पताल, नागौर की रिपोर्ट की ओर आकर्षित किया और प्रस्तुत किया कि उपरोक्त रिपोर्ट में, यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि अपीलार्थी ने शराब/अल्कोहल का सेवन किया था। विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि रिपोर्ट के प्रथम दृष्टया, इस तर्क को खारिज किया जाना चाहिए कि अपीलार्थी ने अस्पताल के गेट के पास भीड़ और संकरा होने के कारण कार पर नियंत्रण खो दिया था।

विद्वान अधिवक्ता ने दृढ़तापूर्वक कहा कि 05.01.2023 को हुई घटना में न केवल एक व्यक्ति की जान चली गई और एक महिला का गर्भपात हो गया, बल्कि अस्पताल के गेट के पास खड़े 4-5 अन्य व्यक्ति भी घायल हो गए। इस तर्क को प्रमाणित करने के लिए, विद्वान

अधिवक्ता ने न्यायालय को 04.03.2023 को जांच एजेंसी द्वारा प्रस्तुत आरोप-पत्र का हवाला दिया। इस प्रकार उन्होंने न्यायालय से अपीलार्थी को जमानत न देने का अनुरोध किया।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता, विद्वान लोक अभियोजक और शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने **2012 में 8 एससीसी 450 के तहत स्टेट के माध्यम से पीएस लोधी कॉलोनी, नई दिल्ली बनाम संजीव नंदा** के मामले में नशे में गाड़ी चलाने की समस्या से निपटते हुए निम्नानुसार टिप्पणी की:

> "*86. नशे में गाड़ी चलाना हमारे समाज के लिए खतरा बन गया है। हर दिन नशे में गाड़ी चलाने से दुर्घटनाएं होती हैं और कई लोगों की जान चली जाती है, हमारे कई शहरों में पैदल यात्री सुरक्षित नहीं हैं। शहरी अभिजात वर्ग के बीच देर रात की पार्टियां अब जीवन का एक तरीका बन गई हैं इसके बाद नशे में गाड़ी चलाना। शराब का सेवन चेतना और दृष्टि को कमजोर करता है और सटीक रूप से यह अनुमान लगाना असंभव हो जाता है कि वस्तुएं कितनी दूर हैं। जब गहराई की धारणा खराब हो जाती है, तो आंखों की मांसपेशियां अपनी सटीकता खो देती हैं, जिससे वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने में असमर्थता होती है। इसके अलावा, अधिक प्रतिकूल परिस्थितियों में जैसे कोहरा, धुंध, बारिश आदि, चाहे रात हो या दिन, यह किसी वस्तु की दृश्यता को इस हद तक कम कर सकता है कि वह स्पष्टता की सीमा से नीचे हो जाए। संक्षेप में, शराब के कारण समन्वय समाप्त हो जाता है, निर्णय ठीक नहीं हो पाता, रिफ्लेक्स कमज़ोर हो जाते हैं और दृष्टि विकृति हो जाती है।*

माननीय उच्चतम न्यायालय ने में रिपोर्ट किए गए **एलिस्टर एंथोनी परेरा बनाम महाराष्ट्र सरकार के मामले में 2012 2 एससीसी 648** को निम्नानुसार रखा:

> "41. *खतरनाक प्रकृति और कार्य के संभावित प्रभाव के ज्ञान के साथ सार्वजनिक सड़क पर लापरवाही से वाहन चलाना और जिसके*

परिणामस्वरूप मृत्यु हो सकती है, गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में आ सकता है। एक व्यक्ति, लापरवाही से वाहन चलाना या लापरवाही से गाड़ी चलाने पर, यदि किसी जोखिम के बारे में पता है कि एक विशेष परिणाम होने की संभावना है और वह परिणाम घटित होता है, तो उसे न केवल कार्य के लिए बल्कि परिणाम के लिए भी दोषी ठहराया जा सकता है। आईपीसी के प्रावधानों के मद्देनजर कानून के मामले में, वे मामले जो धारा 299 के अंतिम खंड के अंतर्गत आते हैं, लेकिन धारा 300 के खंड "चौथे" के अंतर्गत नहीं आते हैं, खतरनाक परिणामों की संभावना के ज्ञान के साथ किए गए लापरवाही और लापरवाही के मामलों को कवर कर सकते हैं और धारा 304 भाग II आईपीसी के तहत सजा हो सकती है। आईपीसी की धारा 304-क किसी भी लापरवाही या लापरवाही से की गई किसी भी व्यक्ति की मौत के मामलों को इसके दायरे से बाहर कर देती है, जो किसी भी प्रकार की गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में आती है।"

(जोर दिया गया)

दिनांक 05.01.02023 की एफआईआर, आरोप-पत्र और मेडिकल रिपोर्ट को देखने के बाद, इस न्यायालय को प्रथम दृष्टया निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि अपीलार्थी जो पेशे से डॉक्टर है, नशे की हालत में कार चलाने के परिणामों से अच्छी तरह से वाकिफ था। अपीलार्थी ने सुबह के समय शराब पीकर अपनी कार चलाई, जिससे दुर्घटना हुई, जिसके परिणामस्वरूप एक व्यक्ति की मौत हो गई, एक गर्भवती महिला का गर्भपात हो गया और अस्पताल गेट के पास कई व्यक्ति/मरीज घायल हो गए।

अस्पताल के गेट के आसपास भीड़ और संकुलन के कारण वाहन के असंतुलित होने के संबंध में तर्क की इस स्तर पर सराहना नहीं की जा सकती है, खासकर तब जब मामले की सुनवाई सक्षम आपराधिक न्यायालय में होनी बाकी है और शिकायतकर्ता का बयान भी दर्ज नहीं किया गया है।

वर्तमान मामले में, अपीलार्थी, जो एक सरकारी अस्पताल में डॉक्टर के रूप में कार्यरत

है, बीमार मरीजों को इलाज प्रदान करने के नैतिक दायित्व से ग्रस्त है, नशे में गाड़ी चलाने के दुष्प्रभावों से अवगत होने के बावजूद, नशे की हालत में उसने अपनी कार को अत्यधिक गति से चलाया, जिस अस्पताल में वह काम करता था, उसके अंदर भीड़भाड़ वाली सड़क थी, जिसके परिणामस्वरूप एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, एक गर्भवती महिला का गर्भपात हो गया और 4-5 अन्य व्यक्ति घायल हो गए।

इस न्यायालय की *प्रथम दृष्टया* राय में, तेज गति और नशे में गाड़ी चलाने की घटनाएं दिन-प्रतिदिन बढ़ रही हैं और सड़क दुर्घटनाओं में प्रमुख योगदान देने वाले कारक हैं। ऐसे मामले में जमानत देते समय आरोपों की गंभीरता को ध्यान में रखना होगा। ऐसी प्रकृति के मामलों की तुलना उन मामलों से नहीं की जा सकती, जहां कोई व्यक्ति लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण मौत का कारण बनता है।

जमानत की अर्जी खारिज की जाती है।

यह स्पष्ट किया जाता है कि ऊपर दर्ज निष्कर्ष और टिप्पणियाँ जमानत आवेदन के निर्णय के सीमित उद्देश्यों के लिए हैं। ट्रायल कोर्ट इससे पूर्वाग्रहग्रस्त नहीं होगा।

हालाँकि, अपीलार्थी को शिकायतकर्ता और श्रीमती नाज़िया बानो पत्नी सलाउद्दीन के बयान दर्ज करने के बाद नई जमानत याचिका दायर करने की स्वतंत्रता दी गई है और ट्रायल कोर्ट को प्राथमिकता के आधार पर उनके बयान दर्ज करने का निर्देश दिया गया है।

(कुलदीप माथुर), न्यायमूर्ति

/tarun goyal/-

टिप्पणी: इस निर्णय का हिन्दी अनुवाद निविदा फर्म **राजभाषा सेवा संस्थान** द्वारा किया गया है, जिसे फर्म के निदेशक डॉ. वी. के. अग्रवाल, द्वारा मान्य और सत्यापित किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन व कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।